(1)

मध्यप्रदेश शासन
जन शिकायत निवारण विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462003

क्र; 226/45/ /जनशि/53/2014, भोपाल, दिनांक 26 फरवरी,2014

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागायुक्त,मध्यप्रदेश,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश,

विषय- जन शिकायत के प्रकरणों के त्वरित निराकरण बाबत।

जन शिकायत निवारण विभाग की समीक्षा में कतिपय प्रकरण अत्याधिक लंबित होना पाया गया है। शिकायतों की जांच में अधिक समय लगना चिन्ताजनक है।

मा;मुख्यमंत्रीजी द्वारा शिकायतों के त्वरित गति से निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।

शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु शासन स्तर से शिकायत आडिट दलों का गठन किया जा रहा है, जो जिलों में भ्रमण कर लंबित शिकायतों की जांच की प्रगति एवं विलंब के कारण की समीक्षा करेगा। आवश्यकता होने पर शिकायतों की जांच भी करेगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं। इन शिकायत आडिट दलों को आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षित होगा चूंकि वे मुख्य सचिव कार्यालय से इस हेतु अधिकृत किये जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करें कि दलों के जिलों के भ्रमण के समय, नामांकित नोडल अधिकारी (जो कि अपर कलेक्टर के स्तर से निम्न न हो) दल को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, तथा संबंधित विभागों के जिला प्रमुख इन्हें भेंट एवं चर्चा हेतु समय देवें।

संभवतः कई शिकायतों का निराकरण हो चुका होगा, लेकिन की गयी कार्यवाही का विवरण वेबसाईट पर दर्ज नहीं किया गया हो। अतः आप अपने स्तर, अधीनस्थ विभाग स्तर, जिला अधिकारियों के स्तर पर लंबित शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करायें तथा विभाग की वेबसाईट www.mpsamadhan.org पर निराकरण की स्थिति भी दर्ज करायें। विशेष रूप से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता देवें।

(अॅन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव

पृ;क्र;227/145/जनशि/53/2014, भोपाल, दिनांक 20 फरवरी,2014

प्रतिलिपि:-

1; प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी, म;प्र;शासन, मंत्रालय, भोपाल।

2; विशेष सहायक, मा; समस्त मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी म;प्र;शासन,भोपाल।

प्रमुख सचिव
जन शिकायत निवारण विभाग